न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 04 / 19

तारीख रजू:– 02.12.2019

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

राकेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल ब्राह्मण निवासी बैरोज तहसील टोडाभीम हाल निवासी टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर।

अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत पदमपुरा जरिये सरपंच / सचिव ग्राम पदमपुरा।
2. गोपाल पि0 गिर्राज
3. गोविन्द पि0गिर्राज
   जाति ब्राह्मण निवासी बैरोज तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवासी श्यामनगर कच्ची बस्ती कोटा।
4. महेन्द्र पुत्र देवीसहाय
5. मोनू पुत्र देवीसहाय
   जाति ब्राह्मण निवासी बैरोज तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवासी मकान न0 41 बापू कॉलोनी रंगपुर रोड कोटा जक्शन कोटा।
6. प्रहलाद पुत्र रतनलाल मीना निवासी बैरौज तहसील टोडाभीम जिला करौली।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत पदमपुरा
नामांतकरण सख्या 383 दिनांक 05.02.2014 ग्राम बैरोज
उपस्थिति:– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (अपीलांट)

निर्णय दिनांक:– **29.01.2020**

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी ख0न0 283 / 0.28, 292 / 0.26, 324 / 0.31, 500 / 0.13, 501 / 0.13, 543 / 0.39, कुल किता 6 कुल रकवा 1.50 है0 ग्राम बेरोज की आराजी जमाबन्दी सम्वत 2070–73 मे अपीलांट के पिता प्रभूलाल पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1 / 2 तथा रेस्पो0 न0 2 व 3, एवं रेस्पो0 4 व 5 के पिता देवीसहाय हिस्सा 1 / 2 के नाम दर्ज थी। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी आधार के विरासत का नामांतकरण रेस्पो0 न0 2 व 3, एवं रेस्पो0 4 व 5 के पिता के नाम दिनांक 5.4.2014 को तस्दीक कर दिया। जो निरस्त योग्य है। क्योकि प्रभू दयाल के वारिस रेस्पो0 न0 2 व 3, एवं रेस्पो0 4 व 5 के पिता देवीसहाय नही होकर अपीलांट है। अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये गुप–चुप तरीके से रेस्पो0 से साज करके उनके नाम तस्दीक कर दिया। इस कारण से भी नामांतकरण संख्या 383 दिनांक 05.02.2014 खारिज योग्य है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

अपीलांट मुस्तकल तौर पर ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा मे निवास करता है। अपने हिस्से की आराजी को रेस्पो0 को ही फसल के हिसाब से कीमतन बता देता था। प्रार्थी अपीलांट अपने आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु लोन लेने बावत पत्रावली तैयार कराने के लिये पटवारी से मिला। पटवारी हल्का से जानकारी प्राप्त हुई कि आराजी मे हमारा तो नाम ही नही है। मृतक देवीसहाय द्वारा उक्त आराजी मे से कुछ हिस्सा रेस्पो0 न0 6 प्रहलाद पुत्र रतनलाल जाति मीना को विक्रय कर दिया। जबकि उक्त आराज उसके हिस्से मे नही आती है। पटवारी हल्का से दिनांक 27.11.2019 को उक्त नामांतकरण की प्रतिलिपि लेकर अपील अन्दर म्याद पेश है। प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन ऐक्ट अलग से प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलांट पेश कर अर्ज है कि नामांतकरण संख्या 383 दिनांक 5.2.2014 ग्राम बेरोज निरस्त किया जाकर प्रभूदयाल के विरासत का नामांतकरण अपीलांट के पक्ष मे खोलने के आदेश फरमावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 न0 2, 3, 4, 5, 6 जरिये वकील उपस्थित हुये रेस्पो0 न0 1 बाबवूद सूचना उपस्थित नही।

रेस्पो0 न0 6 की ओर से प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का जबाब पेश किया कि नमांतकरण की जानकारी अपीलांट को हमेशा से रही है। नामांतकरण सख्या 383 दिनांक 5.2.14 के पश्चात खातेदार देवीसहाय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आराजी प्रहलाद को विक्रय की जा चुकी है। अतः अपीलांट की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस मे कथन किया कि अपीलांट मुकम्मल तौर से टपूकडा तहसील तिजारा मे निवास करता है इस कारण से पूर्व मे नामांतकरण की जानकारी नही हुई है। इस कारण प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार फरमाया जावे। वकील रेस्पो0 ने भी बहस मे स्वीकार किया कि अपीलांट टपूकडा मे ही निवास करता है। अतः अपीलांट को नामांतकरण की जानकारी पहले से होना उचित नही मानते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है। मूल अपील की बहस मे रेस्पो0 के वकीलो ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि राकेश, प्रभूदयाल का ही पुत्र है तथा दीनदयाल गिर्राज प्रभूदयाल किशोरी को श्योनारायण का पुत्र होना भी स्वीकार किया है। वकील अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट प्रभूदयाल का पुत्र है जिसे रेस्पो0 वकीलो ने भी स्वीकार किया है। वर्णित आराजीयात मे हिस्सानुसार विरासत का नामांतकरण दर्ज कराने का हकदार है। देवीसहाय ने कुछ जमीन रेस्पो0 न0 6 को बेचान कर दी। देवीसहाय का हिस्सा 1/6 अर्थात 25 ऐयर बनता है जबकि बेचान 39 ऐयर कर दिया। देवीसहाय फौत भी हो गया है। अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामांतकरण संख्या 383 दिनांक 5.2.14 खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली मे शामिल नामांतकरण संख्या 383 के अनुसार जमाबन्दी के खाता संख्या 119 मे वर्णित आराजी ख0न0 283 रकवा 0.28 है0 के खातेदार प्रभूलाल पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण के स्थान पर देवीसहाय, गोपाल, गोविन्द पि0 गिर्राज हिस्सा बराबर हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण के नाम स्वीकार हुआ है। वकील रेस्पो0 द्वारा अपीलांट को

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रभूदयाल का वारिस पुत्र स्वीकार किया गया है। इसलिये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 383 दिनांक 5.2.2014 खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार टोडाभीम को रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वारिसान की जॉच कर पुनः नामांतकरण तस्दीक किया जावे। यदि विधि विरूद्व तरीके से बेचान किया गया है तो अपीलांट सक्षम न्यायालय से विक्रीत भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करवाने के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.02.11 15:32:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: